ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.18, NO.1, JAN-JUNE,2023 /39

भारत में चुनाव आयोग की भूमिका एवं महत्व

*बीरेन्द्र वर्मा एवं **प्रो0 जितेन्द्र बहादुर सिंह

*शोध छात्र– राजनीति विज्ञान एवं ** शोध पर्यवेक्षक
पं0 राम लखन शुक्ल राजकीय पी0जी0 कालेज आलापुर, अम्बेडकरनगर,
डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या,

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जबकि भारतीय लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जिसमें 90 करोड़ से भी अधिक मतदाता है। भारत में चुनावों का आयोजन भारतीय संविधान के तहत बनाये गये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। यह एक अच्छी तरह स्थापित परंपरा है। एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी अदालत चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित किये जाने तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 (अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है) को किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वात्य एवं अर्धन्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था।

देश में चुनाव आयोग का गठन स्वच्छ एवं उन्मुक्त चुनाव आयोजन सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान के तहत एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय के रूप में हुआ। संविधान अनुच्छेद 324 में संसदीय चुनावों, विधानसभा चुनावों भारत के राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति पदों के लिए चुनावों की देख–रेख, उनके निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयोग का दिया गया है।

भाग–15 (निर्वाचन)

अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।

अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक–नियमावली में सम्मिलित किये जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक–नामावली में सम्मिलित किये जाने का दावा न किया जाना।

अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना।

अनुच्छेद 327 विधानमण्डलों के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपलब्ध करने की उस विधानमण्डल की शक्ति।

अनुच्छेद 329 निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।

अनुच्छेद 329(ए) प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामलें में संसद के लिए निर्वाचनों के बारें में विशेष उपबन्ध 44वें संविधान संसोधन अधिनियम, 1978 की धारा–36 द्वारा निरसित।

चुनाव आयोग

भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वायत्त एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324(1) के अनुसार संसद और राज्य विधानमण्डल के निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक–नामावली तैयार करने का और निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रा के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा।

संगठन एवं नियुक्ति

अनुच्छेद 324(2) में उपबन्ध है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जितने समय–समय पर राष्ट्रपति नियत करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तो की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार करेगा। पहले निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय परन्तु वर्ष 1993 से निर्वाचन आयोग तीन सदस्यीय है। जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग और दो अन्य निवार्चन आयुक्त हैं। तीनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान हैं और निर्णय बहुमत से किये जाते हैं।

पदावधि व हटाने की प्रक्रिया

मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पद धारण करेंगें। परन्तु

- वह राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रीति से हटाया जा सकता है।
- अन्य चुनाव आयुक्तों व प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश से ही हटाया जा सकता है।

चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियां बृहद हैं। आम चुनाव के दौरान समस्त प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देशन में कार्य करता है। निर्वाचन आयोग के कार्य व शक्तियों के तीन क्षेत्र हैं।

1. प्रशासनिक
2. परामर्शदायी
3. अर्धन्यायिक

चनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियों का विस्तृत वर्णन है।

- संसद राज्य विधानमण्डल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, नियंत्रण एवं निर्देशन करना।
- मतदाता सूची तैयार करना।
- विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना।
- राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना।
- चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन एवं सीमांकन में परिसीमन आयोग की सहायता करना।
- अर्धन्यायिक कार्य जैसे अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की आयोग्ता के संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है तथा अनुच्छेद 192 के अंर्तगत राज्यपाल, राज्यविधान मण्डलों के सदस्यों की आयोग्ताओं के संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है।
- राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना।
- राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार एवं प्रसार की सुविधाएं दिलवाना।
- उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले कुछ व्यय की राशि पर्यवेक्षकों के माध्यम से जांच करना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संसोधन 1996 के तहत पर्यवेक्षक सीधे भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट देते हैं।
- मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना।

- राष्ट्रपति को प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए परामर्श देना। सरकार को अपने कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन देना।
- चुनाव प्रक्रिया में चुनाव के सुझाव देना।
- राष्ट्रपति द्वारा चुनाव अधिसूचना के बाद चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है। इस घोषणा में नामजदगी, पत्रों की तिथि, चुनाव संघर्ष के नाम वापस लेने की तिथि का उल्लेख होता है।
- चुनाव आयोग हिंसा, बूथ कैप्चरिंग आदि की स्थिति में चुनाव रद्द कर सकता है।

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में एक मुख्य कमी है कि बहुमत मतदान या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था मे भारत मतों की संख्या तथा जीती गई सीटों की संख्या में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अधिकतर चुनाव परिणाम यह दर्शाते हैं कि चुनाव में वोट का प्रतिशत एवं जीती गई सीटों की संख्या में असंतुलन होता है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुमत प्राप्त दल 50 प्रतिशत मत भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस व्यवस्था में 50 प्रतिशत से कम ही मत प्राप्त व्यक्ति ही विजयी घोषित हो जाता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिक है तो यह प्रतिशत बहुत ही कम हो जाता है। वर्तमान में भारत मे 700 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं दलों की बहुतायत न सिर्फ मतदाताओं में भ्रम पैदा करती है बल्कि चुनावों में उम्मीदवारों की अत्यधिक संख्या प्रशासनिक समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं। स्वतंत्र उम्मीदवारों की संख्या इस समस्या को और बढ़ा देती है। ऐसे सिद्धांत विहीन व्यक्ति आधारित दल एवं स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव के बाद के बाद परिदृश्य में अवसर वादी गठबंधन एवं अस्थित सराकर की समस्या उत्पन्न करते हैं।

भारत में चुना लड़ने वाले तथा इसे सम्पन्न कराने वाले दोनों के लिए यह खर्चीली व्यवस्था है। 13वें आम चुनाव में सरकार की सिर्फ सराहनीय चुनाव में 850 करोड़ रू0 खर्च करने पड़े। अस्थिर सरकारों के कारण होने वाले बार–बार चुनावों में इस समस्या को और गम्भीर बना दिया है।

इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों का चुनावी खर्च लगातार बढ़ रहा है। वैसे तो कानून द्वारा लोकसभा और विधानसभा में चुनावों के खर्च को निर्धारित कर दिया गया है। परंतु कानून प्रभावी न होने के कारण एक उम्मीदवार का खर्च करोड़ों पर पहुंच जाता है। यह बढ़ता खर्च अनैतिकता, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। ऐसी स्थिति में ईमानदार व कुशल उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। इसके साथ भारी खर्च करके जब उम्मीदवार को सत्ता प्राप्त होती है तो वह चुनाव में खर्च किये गये धन की उगाही सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग, रिश्वत एवं घोटालों से पूरा करता है।

सत्ताधारी दल चुनावों मे निर्णय अपने पक्ष में करवाने के लिए चुनावी मशीनरी व अधिकारियों का दुरूपयोग करता है। अपने कृपापात्र अधिकारियों को नियुक्त कर मतदाता सूची में अवैधानिक हेर–फेर, मतदान केन्द्रों की व्यवस्था में हेर–फेर आदि करवाता है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने और लोकतंत्र को बनाये रखने के लिए एक ओर विभिन्न समितियों का गठन किया गया और उनकी सिफारिस को क्रियान्वित किया गया। दूसरी ओर संसद ने भी अनेक अधिनियम पारित किये।

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
- के सन्थानम समिति 1964
- चुनाव चिन्ह आदेश 1968
- तारकुण्डे समिति 1975
- 61वां संसोधन अधिनियम 1988

- टी0एन0 शेसन द्वारा सुधार
- दिनेश गोस्वामी समिति 1990
- जनप्रतिनिधित्व संसोधन अधिनियम 1996

निष्कर्ष–

चुनाव आयोग ने भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। वर्ष 1999 में तेरहवें लोकसभा के चुनाव के दौरान कार्यकारी सरकार को वास्तविक व महत्वपूर्ण निर्णय लेने से रोका। इसके पश्चात महाराष्ट्र के एक नेता को साम्प्रदायिक भाषण देने के कारण 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर चुनावों के दौरान धर्म, जाति के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया गया। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने के लिए एक ओर फोटो पहचानपत्र लागू किये तो दूसरी ओर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को लागू किया। चुनाव आयोग ने जम्मूकश्मीर में निष्पक्ष चुना करायें जिसकी प्रशंसा विदेशी पर्यवेक्षकों ने भी की इसी कारण मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एशियाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2003 में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव आचार संहिता के दौरान अधिकारियों के हस्तान्तरण पर रोक लगाई। यहां तक राजस्थान में थानाध्यक्ष के हस्तांतरण करने पर सराकर को फटकार लगाई। वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश व विहार विधान सभा के चुनाव में निष्पक्षता बनाये रखने के लिए चुना आयोग ने केन्द्रीय पर्यवेक्षकों व केन्द्रीय पुलिस बल का प्रयोग किया जिसके कारण इन राज्यों में बूथ कैप्चरिगं व धांधली नहीं हो पायी और जनता ने निडर होकर मतदान किया।

चुनाव आयोग ने निष्पक्ष व क्रियाशील भूमिका केवल भारत में ही नहीं अपितु भूटान, अफगानिस्तान जैसे देशों में भी अदा की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराकर भारत मे लोकतंत्र की रक्षा की।

परंतु निर्वाचन आयोग के पास सबसे बड़ी समस्या है कि अपनी अधिक उन्नति चुनाव मशीनरी का न होना। यदि चुनाव आयोग को अधिक शक्तिशाली बनाया जाय तो भारत विश्व के लिए आदर्श लोक तंत्र का रूप ले सकता है।

संदर्भ सूची–

1. भारतीय तुलनात्मक राजनीति–सी0वी0 गेना
2. कश्यप, सुभाष (2006) भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
3. https//www.drishtiias.com.hindi
4. https//www.wikipidea.com.hindi
5. भारत की राज्य व्यवस्था–एम0 लक्ष्मीकांत
6. भारत का संविधान– डॉ0 प्रमोद कुमार अग्रवाल पूर्व संयुक्त सचिव, कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार